न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 49 / 2024 (GCMS: 2024/84)

राज्य सरकार जरिये सुमित्रा बिश्नोई, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री रघुवीर सिंह** पुत्र श्री वीर सिंह निवासी सूर्यनगरी, सद्भावना नगर, मेन रोड़, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 94145-01566
2. **फर्म रामदेव आटा चक्की**, सद्भावना नगर मेन रोड़, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास की बहस दिनांक 05.02.2025 को सुनी गई थी एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से सुमित्रा बिश्नोई, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सद्भावना नगर, मेन रोड़, श्रीगंगानगर स्थित आटा चक्की पर पहुंचे। वरवक्त मौका फर्म रामदेव आटा चक्की पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय रघुवीर सिंह पुत्र वीर सिंह होना बताया, जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में गेहूं पिसाई का कार्य चल रहा था। मौका जांच उक्त दुकान पर प्लास्टिक की एक कैनी व बोतलों में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। पूछताछ में रघुवीर सिंह ने उक्त प्लास्टिक कैनी व बोतलों में 7 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पेट्रोल होना बताया। पूछताछ पर रघुवीर ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में सद्भावना नगर मेन रोड़ स्थित दुकान रामदेव आटा चक्की पर विक्रय किया जाता है। मौके पर रघुवीर सिंह द्वारा पेट्रोल के भण्डारण / बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञा पत्र / परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर फर्म रामदेव आट चक्की, श्रीगंगानगर पर उपलब्ध 17 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व बोतल जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व बोतल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द व्यास ने अपनी बहस कथन किया है कि प्रार्थी अपने परिवार के भरण पोषण हेतु आटा चक्की खोल रखी है जिसमें कनक व अन्य अनाज की पिसाई की जाती है व घर घर सप्लाई किये जाने का कार्य किया जाता है। इसके लिए प्रार्थी द्वारा मोटरसाईकिल रिक्शा का निर्माण कर रखा है, जिसके लिये पेट्रोल की आवश्यकता रहती है, इसलिए निर्धारित मात्रा में पेट्रोल बोतलों में सुरक्षित रखा हुआ था, क्योंकि उस रोज पेट्रोल पम्प की हड़ताल थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत 30 लीटर से क[illegible] में पेट्रोल सुरक्षित बोतलों में रखा हुआ था जो केवल 17 लीटर था [illegible] प्रकार की दुर्घटना कारित होने की संभावना नहीं थी ना ही जिला रसद अधिकारी द्वारा इस पेट्रोल से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होने की आशंका जाहिर की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा ना तो पेट्रोल विक्रय करना पाया गया ना ही पेट्रोल विक्रय करने के कोई अलामात रजिस्टर क्रय विक्रय करन के मौका पर थे ना ही विक्रय किया जा रहा था। प्रार्थी द्वारा उक्त पैट्रोल अपने व्यवसाय के लिए निर्धारित मात्रा में सुरक्षित रखा हुआ था। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध आरोप को निरस्त किये जावे और जब्तशुदा पेट्रोल उसे लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ सद्भावना नगर मेन रोड़, श्रीगंगानगर स्थित आटा चक्की पर पहुंचे तो फर्म रामदेव आटा चक्की, सद्भावना नगर मेन रोड़, श्रीगंगानगर पर 17 लीटर पेट्रोल बेचान करने हेतु रखा हुआ पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी **रघुवीर स्वयं ने बताया है कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में सद्भावना नगर मेन रोड़ स्थित दुकान रामदेव आटा चक्की पर विक्रय किया जाता है तथा उसके पास भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि और अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं बहस में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उक्त पेट्रोल का भण्डारण किया जाना बताया है जो कि मनगढंत और झूठा है क्योंकि **अप्रार्थी स्वयं ने पेट्रोलियम पदार्थ का पंजाब से क्रय कर, [illegible] नगर मेन रोड स्थित दुकान रामदेव आटा चक्की पर [illegible] और जब्ती दिनांक 11.03.2024 को तैयार फर्द जब्ती पर [illegible] स्वयं ने हस्ताक्षर किये है।** पेट्रोल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र [illegible] प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी रघुवीर द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के पंजाब से डीजल क्रय कर श्रीगंगानगर में उपभोक्ताओं को बेचान करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ सद्भावना नगर, मेन रोड़, श्रीगंगानगर स्थित आटा चक्की पर पहुंचे। वरवक्त मौका फर्म रामदेव आटा चक्की पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय रघुवीर सिंह पुत्र वीर सिंह होना बताया, जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौके पर उक्त दुकान में गेहूं पिसाई कार्य चल रहा था। मौका जांच उक्त दुकान पर प्लास्टिक की एक कैनी व सात बोतलों में पेट्रोल भण्डारित पाया गया। पूछताछ में रधुवीर सिंह ने उक्त प्लास्टिक कैनी व बोतलों में 17 लीटर पेट्रोल होना बताया। **पूछताछ पर रघुवीर ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर सद्भावना नगर मेन रोड़ स्थित दुकान रामदेव आटा चक्की पर विक्रय किया जाता है।** मौके पर रघुवीर सिंह द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर फर्म रामदेव आट चक्की, श्रीगंगानगर पर उपलब्ध 17 लीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व बोतल जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। **अप्रार्थी** द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04** का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैनी व बोतल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से प[illegible] अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा [illegible] 17 लीटर पेट्रोल का भण्डारण कर रखा था जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत 30 लीटर से कम मात्रा में पेट्रोल सुरक्षित बोतलों में रखा होना बताया है और अपनी बहस के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी रघुवीर सिंह 17 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। अप्रार्थी रघुवीर सिंह द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण /परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी रघुवीर द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।** **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रार्थी रघुवीर ने पंजाब से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में बेचान करना बताया है। जिस पर अप्रार्थी रघुवीर के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) ....
>
> **12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ''क'', 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ''ख'' एवं 5000 लीटर वर्ग ''ग'' के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 17 लीटर पेट्रोल का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब/बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल को स्वयं के व्यक्तिगत कार्यों में प्रयुक्त होने हेतु भण्डारण करना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अप्रार्थी रघुवीर स्वयं ने उक्त पेट्रोल को पंजाब से क्रय कर, श्रीगंगानगर में बेचान करना बताकर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसकी फर्म रामदेव आटा चक्की, सद्भावना नरग, श्रीगंगानगर में 17 लीटर पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी रघुवीर के पास उक्त मात्रा में डीजल [illegible] परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नही किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में — स्पष्टीकरण

(12) पत्रांक : पी—3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण — पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईंट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane
Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex
Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम [illegible] की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति आवश्यक होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर [illegible] पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग ''क'' के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग ''ख'' के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 17 लीटर पेट्रोल ''भण्डारण एवं बेचान'' करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 17 लीटर पेट्रोल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी ''विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 17 लीटर पेट्रोल भी राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 17 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 17 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा [illegible] अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर